

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 21 मई 2013

क्र. एफ 1-1-2008-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सतना जिले की तहसील रामपुर बघेलान तथा तहसील कोटर की सीमाएं, उसमें से, सतना जिले की विद्यमान तहसील रामपुर बघेलान के राजस्व वत्त सज्जनपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 29 को अपवर्जित करते हुए तथा उसे कोटर तहसील में समाविष्ट करते हुए और विद्यमान तहसील कोटर के राजस्व वृत्त छिबौरा से पटवारी हल्का क्रमांक 15 से 23 तक को अपवर्जित करते हुए और उन्हें तहसील रामपुर बघेलान में समाविष्ट करते हुए, परिवर्तित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 मई 2013

क्र. एफ 1-1-2008-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-1-2008-सात-6, दिनांक 21 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

ORDER

Bhopal, the 21st May 2013

No. F-1-1-2008-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tahsil Rampur Baghelan and Tahsil Kotar of Satna District from the date of publication of this order in the Gazette by excluding the patwari halka No. 29 of the Revenue Circle Sajjanpur of present Tahsil Rampur Baghelan and comprising it into Kotar Tahsil and by excluding the patwari halka No. 15 to 23 of Revenue Circle Chhibaura of present Tahsil Kotar and comprising them into Tahsil Rampur Baghelan of Satna District.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. CHATURVEDI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2013

सूचना

क्र. एफ-1-10-2009-सात-शा.6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नवीन तहसील पोलायकला एवं तहसील अवन्तीपुर बड़ौदिया, जिला शाजापुर सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील शुजालपुर एवं तहसील गुलाना, जिला शाजापुर की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

(2) मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित